30/5/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार आमेर की ओर से पत्र क्रमांक मू.अ./2989 दिनांक 30/05/25 द्वारा अवगत कराया गया है कि आदेश/डिक्री के संदर्भ में नियमानुसार पालना/निस्तारण किया जा चुका है।

अतः चूंकि तहसीलदार आमेर द्वारा न्यायालय आदेश/डिक्री की नियमानुसार पालना/निस्तारण किया जा चुका है। जिससे प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दीवानी अवमानहीन होने के खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर के नम हो। कोई तकमील वाकिल सफल हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:14:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner